न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बरः—29/22

अनुराधा पत्नि रामनिवास, जाति—जाटव, निवासी ऐचोली, तहसील—बयाना, जिला—भरतपुर (राज0)

—— प्रार्थी

(बनाम)

तहसीलदार बयाना

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,
135 व 136, लैण्ड रैवन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांकः— 5/1/25

उपस्थितिः— श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0 प्रार्थी

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 135 व 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुराना आराजी खसरा नम्बर 17 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा वाके ग्राम नावली तहसील बयाना में स्थित है कि वर्तमान सेटिलमेंट के दौरान नवींन आराजी खसरा नम्बर 24 रकवा 0.17 है0 बनाया गया है। वर्तमान सेटिलमेंट द्वारा जो मिसिल सम्वत् 2051—2070 बनाई गई है उसमें रकवा पूर्व बन्दोवस्ती के अनुसार सही है प्रार्थनी भी मौके पर 1 बीघा 1 विस्वा पर काबिज है। वर्तमान सेटिलमेंट द्वारा उक्त पुराना आराजी खसरा नम्बर 17 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा के नवींन खसरा नम्बर 24 रकवा 0.17 है0 ग्राम नावली तहसील बयाना का जो नक्शा बनाया गया है वह पूर्व बन्दोवस्ती व मौके व कब्जे के विल्कुल विपरीत बनाया है। नवींन खसरा नम्बर 24 का वर्तमान नक्शा बनाया गया है उसकी उत्तरी मेंड व दक्षिणी मेंडों को कम कर दिया है जिससे नक्शा के मुताबिक क्षेत्रफल कम बैठता है। यह वर्तमान सेटिलमेंट को पूर्व बन्दोवस्ती नक्शा के अनुसार ही वर्तमान सेटिलमेंट नवींन नक्शा बनाने का अधिकार था ना कि पूर्व बन्दोबस्ती नक्शा के विपरीत बनाने का या रकवा कम करने का कोई अधिकार नहीं था। वर्तमान सेटिलमेंट द्वारा जो पूर्व वन्दोवस्ती नक्शा के विपरीत जो नक्शा बनाया है उससे प्रार्थनी को बडी भारी क्षति हो रही है जिसे शुद्व किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थनी दिनांक 06.07.2022 को पटवारी हल्का के पास अपनी आराजी की पैमाईश हेतु गयी तो पटवारी हल्का ने बताया कि पुराना आराजी खसरा नम्बर 17 का जो नवींन खसरा नम्बर 24 बनाया है नवींन नक्शा पर पैमाना लगाने पर इसका रकवा 0.12 ऐयर बैठता है।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार कर पुराना खसरा नम्बर 17 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा के नवीन खसरा नम्बर 24 रकवा 0.17 वाके ग्राम नावली तहसील बयाना का वर्तमान सेटिलमेंट द्वारा जो नक्शा बनाया गया है को पूर्व बन्दोवस्ती नक्शा के अनुसार शुद्व किये जाने का निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बयाना से प्रकरण में रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बयाना ने अपने पत्रांक/एलआर/25/421 दिनांक 10.02.2025 से प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त में अंकित किया है कि ग्राम नावली के साविक ख. न. 17 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 24 रकवा 0.17 हेक्टे0 बने है ख. न. 24 की नवीन शीट में रकवा बरारी करने पर 0.12 हैक्टे0 बैठता है जो कि धारित रकवा से 0.05 हैक्टे0 कम बैठता है आवेदित खसरा नम्बर 24 के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 23 की आकृति धारित रकवा अनुसार सही बनी है पूर्वी दिशा में स्थित खसरा नम्बर 25 की आकृति धारित रकवा अनुसार 0.04 हैक्टे0 कम बनी है। दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नम्बर 28 की आकृति 0.015 कम, ख.न. 29 की आकृति 0.043 कम, ख. न. 27 की आकृति 0.02 हैक्टे0 अधिक बनी हुई है इस प्रकार ख.न. 27 की बढी आकृति ख.न. 28 व

29 की आकृति की पूर्ति करता है न कि आवेदित ख.न. 24 की आकृति की पूर्ति । खसरा नम्बर 24 की हाल नक्शा शीट में साविक शीट के मुकाबले पूर्वी दिशा में 6 गठ्ठा कम दक्षिणी सीमा की लम्बाई 3 गठ्ठा कम बनी है। दक्षिण दिशा की लम्बाई को पूर्व दिशा की ओर खसरा नम्बर 25 में बढाया जाता है तो खसरा नम्बर 25 जो पहले से ही कम है और भी कम हो जायेगा । इसी प्रकार पूर्वी सीमा को उत्तर या दक्षिण की ओर बढाया जाता है तो खसरा नम्बर 23, 28, 29 की आकृति धारित रकबा से कम हो जायेगी। इस प्रकार आवेदित ख.न. 24 की आकृति की पूर्ति आसपास के खसरा नम्बरों से पूर्ति किया जाना संभव नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया को एकपक्षीय सुना। विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस, पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/25/421 दिनांक 10.02.2025 तहसीलदार बयाना, जमाबन्दी सम्वत 2073–76, मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग, नक्शा ट्रेस, नक्शा ग्राम नावली सम्वत 1985 व अन्य दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में मौके पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अनुसार आकृति की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है, प्रार्थिया अपना पक्ष सिद्व नहीं कर पाई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक......5/12/25......को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना